



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042026-272173
CG-DL-E-30042026-272173

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2051]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948

No. 2051]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

का.आ. 2124(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा- (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 873(अ) दिनांक 18 फरवरी, 2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 867 दिनांक 19 फरवरी, 2025 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मुंबई रिफायनरी (मुंबई) से रसायनी (पनवेल, रायगड) राज्य महाराष्ट्र पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए मुंबई - रसायनी पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील - पनवेल	जिला - रायगड		राज्य - महाराष्ट्र		
	सर्वे नं./गट नं.	हिस्सा नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)		
नारपोली	75	-	0	26	0
	73	-	0	31	0
	70	-	0	10	0
	31	6	0	20	0
	77	2	0	94	20
	36	1	1	2	90
	36	2	0	21	30
	59	1	0	39	40
	38	1	1	58	0
	23	-	0	58	0
	18	-	0	18	0
	22	2	0	5	0
	22	3	0	29	30
	22	4	0	7	40
	21	-	0	20	0
	7	-	0	39	70
	8	5	0	24	50
	5	-	0	15	90
	8/6	6	0	31	40

तहसील - पनवेल	जिला - रायगड		राज्य - महाराष्ट्र		
	सर्वे नं./गट नं.	हिस्सा नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)		
	173	-	10	19	0
देवलोली बुद्रुक	99	-	150	44	0
	104	1	0	6	0
	105	-	1	2	50
	113	1	0	67	10
	113	2	0	48	0
	113	3	0	13	60
	112	-	0	49	20
	113	7	0	6	80
	113	8	0	8	0
	111	1	0	9	90
	111	2	0	9	90
	110	-	0	13	60
	94	-	7	7	0
	90	-	0	0	80
	93	-	0	32	10
	92	-	0	11	60
	GAVTHAN	-	-	-	-
	73	2	0	23	10
	62	2	0	0	46
	62	5	0	0	23
	39	1	0	0	2
	62	1	0	0	48
	69	-	0	0	70
	ROAD	-	.	-	-
	70	-	0	0	18
	41	-	0	0	8
	6	6	0	0	29
	43	-	0	0	9

[फा. सं. आर-12031/1/2019-ओआर-1/ई-29183]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 2026

S.O. 2124(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 873(E) Dated the 18 February, 2025 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition under Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (herein after referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No. 867, Dated 19 February, 2025 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Mumbai – Rasayani Pipeline for transportation of petroleum product from Mumbai (Refinery) to Rasayani (Maharashtra) by Bharat Petroleum Corporation Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the land under the right of user therein.

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land, specified in the Schedule appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in the exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of the publication of the declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Bharat Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

Schedule

Tehsil: Panvel	District: Raigad		State: Maharashtra		
	Survey No/Gut No.	Sub-Division No	Area		
			Hectare	Are	Sqm
(1)	(2)	(3)	(4)		
NARPOLI	75	-	0	26	0
	73	-	0	31	0
	70	-	0	10	0
	31	6	0	20	0
	77	2	0	94	20
	36	1	1	2	90
	36	2	0	21	30
	59	1	0	39	40
	38	1	1	58	0
	23	-	0	58	0
	18	-	0	18	0
	22	2	0	5	0
	22	3	0	29	30
	22	4	0	7	40
	21	-	0	20	0
	7	-	0	39	70
	8	5	0	24	50

Tehsil: Panvel	District: Raigad		State: Maharashtra		
Name of Village	Survey No/Gut No.	Sub-Division No	Area		
			Hectare	Are	Sqm
(1)	(2)	(3)	(4)		
	5	-	0	15	90
	8/6	6	0	31	40
	173	-	10	19	0
DEVLOLI BK	99	-	150	44	0
	104	1	0	6	0
	105	-	1	2	50
	113	1	0	67	10
	113	2	0	48	0
	113	3	0	13	60
	112	-	0	49	20
	113	7	0	6	80
	113	8	0	8	0
	111	1	0	9	90
	111	2	0	9	90
	110	-	0	13	60
	94	-	7	7	0
	90	-	0	0	80
	93	-	0	32	10
	92	-	0	11	60
	GAVTHAN	-	-	-	-
	73	2	0	23	10
	62	2	0	0	46
	62	5	0	0	23
	39	1	0	0	2
	62	1	0	0	48
	69	-	0	0	70
	ROAD	-	.	-	-
	70	-	0	0	18
	41	-	0	0	8
	6	6	0	0	29
	43	-	0	0	9

[F. No. R-12031/1/2019-OR-I/E-29183]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.